

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोर्ट नं० 17, रायबरेली।

उपस्थित- कामायनी दुबे

(उ०प्र०न्यायिक सेवा)

वाद सं०-364/2006

मु०अ०सं०-26/1997

शासन-----अभियोगी

बनाम

1 -माताबदल पुत्र सूरज नारायन वाजपेयी (मृतक)

2-भोला पुत्र माताबदल वाजपेयी

3-नन्हकऊ पुत्र माताबदल वाजपेयी

4-शेष कुमार पुत्र माताबदल वाजपेयी

समस्त निवासीगण दहिगवां, थाना-शिवगढ़, जनपद-रायबरेली ।

धारा- 323, 324, 504 व 506 भा०दं०सं०

थाना- शिवगढ़ जिला- रायबरेली।

निर्णय

प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण में अभियुक्तगण भोला, नन्हकऊ व शेष कुमार का विचारण धारा 323, 324, 504 व 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत पुलिस थाना शिवगढ़ जिला रायबरेली द्वारा वाद सं०-364/2006 में विवेचनोपरान्त प्रस्तुत आरोपपत्र के आधार पर किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-08.04.1997 को करीब तीन बजे दिन में वादी मुकदमा सरकारी गलियारे से अपना ईट ढो रहा था कि गाँव के माताबदल वाजपेयी, भोला वाजपेयी, नन्हकऊ व शेष कुमार अपने हाथों में कांता व लाठी लेकर प्रार्थी को घेर लिया और गालियाँ देने लगे कि इधर से ईटा मत ढोवो और चारो लोग माताबदल के कहने पर प्रार्थी को मारने लगे । जब प्रार्थी ने गुहार मचायी तो प्रार्थी को बचाने उसके चाचा सुरेन्द्र कुमार मिश्र व माता सरोजनी दौड़ी तो उनको भी कांता व लाठी से मारने लगे । चिल्लाने पर गांव के राम सरन दीक्षित, कन्हैया लाल व बैजनाथ मिश्र व गांव के तमाम लोग आ गये तो ये लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये । अतः रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

वादी मुकदमा की इस सूचना पर थाने पर वाद सं०-364/2006 धारा-323, 324, 506 व 504 भा०दं०सं० अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचनाधिकारी ने न्यायालय के आदेश पर प्रकरण की विवेचना की । दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण किया, नक्शा नजरी बनाये तथा गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा अभियुक्तगण के

विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा- 323, 324, 506 व 504 भा०दं०सं० साबित पाकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

अभियुक्तगण हाजिर अदालत आये तथा अपनी-अपनी जमानतें करार्यीं। अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा दिनांक-26.08.2008 को धारा-323, 324, 506 व 504 भा०दं०सं० के आरोप से आरोपित किया गया। अभियुक्तगण ने अपराध से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन की तरफ से अपने कथन के समर्थन में पी० डब्लू०-१ बब्लू मिश्रा, पी०डब्लू०-२ बैजनाथ तथा पी०डब्लू०-३ सुरेन्द्र कुमार को परीक्षित कराया है। अन्य कोई गवाह पेश नहीं किया गया। तथ्य के अन्य गवाहान के द्वारा प्रार्थनापत्र देकर साक्ष्य से उन्मोचित करा लिया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार किया गया है। अतः औपचारिक साक्षीगण तलब नहीं किये गये हैं। अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत दिनांक-19.07.2018 को अंकित किया गया। उसने गवाहान द्वारा गलत गवाही दिये जाने का कथन किया है तथा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया है।

मैंने सहायक अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया। बहस के स्तर पर अभियुक्तगण द्वारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में जमानते प्रस्तुत की गयी।

निष्कर्ष

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर यह आक्षेप लगाया गया है कि उन्होंने दिनांक-08.04.1997 को वादी मुकदमा तथा उसके चाचा सुरेन्द्र कुमार मिश्रा व माता सरोजनी को कांता व लाठी से मारा जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आयी हैं। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व अन्य को गालियां दी तथा जान से मारने की धमकी भी दी गयी।

यह उल्लेखनीय है कि आपराधिक मामले के विचारण में अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये आरोप को युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। प्रस्तुत प्रकरण में जिस मुख्य आधारशिला स्थापित किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि क्या अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

पत्रावली पर अपने अभिकथनों को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित की मजरुबी आख्या प्रस्तुत की गयी है। पीड़ित बब्लू मिश्रा की मजरुबी आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके शरीर पर चिकित्सक द्वारा चार स्थान पर चोट आना बताया गया है चिकित्सक द्वारा चोटों

को साधारण प्रकृति की एवं ताजा होना बताया गया है । सभी चोटें किसी सख्त एवं कुंद दार वस्तु से कारित की गयी है ।

पीड़ित सुरेन्द्र कुमार मिश्रा की मजरूबी आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके शरीर पर चिकित्सक द्वारा पांच स्थानों पर चोटें आना बताया गया है । जिसमें चोट संख्या एक ता चार सख्त एवं कुंददार वस्तु से कारित की गयी हैं तथा चोट संख्या-5 घर्षण/संघर्ष से उत्पन्न होना बताया गया है । सभी चोटे साधारण प्रकृति की एवं ताजी होना बताया गया है ।

पीड़ित सरोजनी देवी के शरीर पर चिकित्सक द्वारा चार चोटें आना बताया गया है । जिसमें चोट संख्या एक ता तीन सख्त एवं कुंद दार वस्तु से कारित की गयी है । चिकित्सक द्वारा चोट संख्या चार के विषय में कोई राय नहीं दी गयी है तथा समस्त चोटों को साधारण प्रकृति की एवं ताजी होना बताया गया है । समस्त चिकित्सकीय आख्या के प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को बचाव पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सकीय आख्या के आधार पर यह उपधारणा की जा सकती है कि पीड़ित व्यक्तियों को घटना की तिथि पर चोटे आयी थी । अब अभियोजन पक्ष को मौखिक साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध करना है कि पीड़ित को उक्त चोटे अभियुक्तगण द्वारा ही कथित घटना कारित करते हुए पहुंचायी गयी थी ।

अपने कथनों के समर्थन में अभियोजन पक्ष के द्वारा बतौर साक्षी पी०डब्लू०-1 कथित प्रकरण के वादी मुकदमा/पीड़ित बब्लू मिश्रा को परीक्षित कराया गया है । अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन किया है । इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में सशपथ यह बयान किया गया है कि "घटना दिनांक-08 अप्रैल 1997 की है । घटना करीब तीन बजे दिन की है । मेरे चाचा व मेरी मां मुझे बचाने आयी थी । मारने पीटने में माताबदल वाजपेयी , भोला वाजपेयी, नन्हकऊ व शेष कुमार थे । उन लोगों ने करीब बीस मिनट मारा पीटा होगा । इसके बाद मुझे बचाने वाले लोग आ गये थे । लोगों के आ जाने पर सभी अभियुक्तगण भाग गये थे । सबसे पहली लाठी मुझे भोला ने मारी थी। मेरे सर पर लाठी मारी थी । मेरा सर फट गया था । खून निकल रहा था । मैं सर नीचे कर बैठ गया था । इसके बाद कई लोगो ने मुझे मारना शुरू कर दिया था । ये लोग मुझे मारते रहे । ये लोग मुझे बीस से पच्चीस मिनट तक मारते पीटते रहे । घटना के बीस पच्चीस मिनट बाद थाने सायकिल पर बैठकर गया था और पुलिस वाले मुझे डाक्टरी के लिए ले गये थे । जब मैं थाने पर गया था तभी दरोगा जी ने सारी बातें पूछ ली थी । जहां पर मार पीट हुई थी उसके उत्तर में खेत पात है । पश्चिम में खेत पात है । दक्षिण में रमाशंकर का मकान है । घटना स्थल से मेरा मकान करीब दो सौ मीटर की दूरी पर है । अस्पताल में मेरा मेडिकल 05.30-6.00 के शाम हुआ था।" इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है ।

पत्रावली पर अभियोजन द्वारा बतौर साक्षी पी०डब्लू०-2 बैजनाथ को परीक्षित कराया गया है । जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अपनी जिरह में

सशपथ यह कथन किया है कि " घटना की तारीख मुझे नहीं मालूम, दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था, बब्लू मेरा चचेरा भतीजा है। इस घटना में तीन लोगों को चोट आयी थी। मार पीट में बब्लू मार खा के धार चले गये थे। चीख गोहार हो रही थी। दोबारा वहां बब्लू के मां बाप आये तो मुल्जिमान उनको मारने दौड़े तो हम लोगों ने ललकारा और कहा कि क्यों झगड़ा करते हो। तब सब लोग अपने अपने घर चले गये।" इस प्रकार इस साक्षी द्वारा भी अभियोजन के कथानक को अपनी जिरह में समर्थन किया गया है।

पत्रावली पर अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्षी पी०डब्लू०-3 सुरेन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अपनी जिरह में सशपथ यह कथन किया है कि " घटना 08.04.1997 की समय 12 बजे दिन की है। माता बदल ने कांता से मारा था। यह नहीं पता था कि धार की तरफ से मारा था या जिस तरफ से कांता पकड़ा जाता है उस तरफ से मारा था। अभियुक्त भोला ने कुल्हाड़ी मारी थी। मुझे चार चोटें आयी थी। नन्हकऊ ने फरसा मारा था। नन्हकऊ के मारने से कहां चोट लगी मैं नहीं बता सकता। ये चारों लोग गुडिया की तरह भर-भर पीट रहे थे। मेरे शरीर पर काफी चोटें आयी थी। सभी चोटों से खून निकल रहा था। यह सारा खून हमारे कपड़ों पर लग गया था। मुल्जिमानों ने पच्चीस मिनट तक मुझको मारा। मैं जमीन पर गिर गया। सरोजनी को कहां चोटें आयीं थी। मैं नहीं बता सकता। बब्लू के सर पर एक चोट और पीठ पर एक चोट आयी थी। चोट से कोई खून नहीं निकल रहा था। बब्लू को भोला व शेष कुमार ने मारा था। डाक्टरी घटना वाले दिन ही हुई थी। दस बजे रात में अस्पताल पहुंचा उसी समय मेरी डाक्टरी हुई थी। थाने से एक सिपाही आया था। सिपाही मुझको भर्ती कराकर चला गया। तीन चार दिन जिला अस्पताल में भर्ती था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने न तो मुझे मारा था और न ही जान से मारने की धमकी दी। यह भी कहना गलत है कि जमीनी रंजिश के कारण फर्जी डाक्टरी बनवाकर फर्जी मुकदमा दायर किया गया है।" इस प्रकार इस साक्षी द्वारा भी अभियोजन के कथानक को अपनी जिरह में समर्थन किया गया है।

पत्रावली पर अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्षी पी०डब्लू०-4 सरोजनी देवी को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अपनी जिरह में सशपथ यह कथन किया है कि "माताबदल ने दस पन्द्रह लाठी मारी थी। भोला ने पांच छः लाठी मारी थी। नन्हकऊ व शेष कुमार ने पांच लाठी मारी थी। बेटे के दाहिने हाथ में, पीठ पर लाठी मारी थी। काफी खून निकला था। गाँव के बहुत से लोग आ गये थे। बैजनाथ, रामसरन आ गये थे। घटना की रिपोर्ट उसी दिन लिखाई थी। मैं डाक्टरी कराने शिवगढ़ गयी थी। मेरी डाक्टरी उसी दिन रात में हुई थी। ग्यारह-बारह रात में डाक्टरी हुयी थी। मेरे लड़के बब्लू का काफी खून निकल रहा था। बांये पैर व बांये हाथ में चोटें आयी थी। यह कहना गलत है कि रंजिश के कारण झूठा मुकदमा दायर कराया गया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन

कथानक का अपनी जिरह में समर्थन किया है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों से इनके द्वारा चिकित्सकीय एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की पुष्टि होती है यद्यपि प्रस्तुत मामले में विवेचक के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तत्पश्चात बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों के सत्यता को स्वीकार कर लिया गया है किन्तु विषय वस्तु से इंकार कया गया है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामला मार पीट से सम्बन्धित है जिसमें विवेचक को प्रस्तुत नहीं कराये जाने से अभियुक्तगण का हित विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होता है। यहां विधि-व्यवस्था **राकेश सदवेवा बनाम उत्तरप्रदेश 1993 एस.सी.सी.(क्रि.मी.) पेज 189, बहादुर नायक बनाम बिहार राज्य ए.आई.आर. 2000 एस.सी.सी. (क्रि.मी.) पेज 1582, अम्बिका प्रसाद एव अन्य बनाम राज्य दिल्ली प्रशासन एवं अन्य 2000 एस.सी.सी. (क्रि.मी.) 522, कृष्णा मोची एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एस.सी.सी. (क्रि.मी.) 1220,** का उल्लेख प्रासंगिक होगा। उक्त विधिव्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मात्र विवेचक को प्रस्तुत नहीं कराये जाने से अभियोजन कथानक को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है जब तक कि अभियुक्तगण का हित विपरीत रूप से प्रभावित न हो। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में किसी वस्तु की बरामदगी नहीं हुयी थी तथा प्रकरण का अभिज्ञान सुनिश्चित था, मामला मात्र मार-पीट व गाल-गलौच से सम्बन्धित है। अतः वर्तमान मामले में अभियुक्तगण का हित विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होता तथा मात्र विवेचक को परीक्षित नहीं कराया जाना दोषमुक्ति का आधार नहीं हो सकता। तथ्य के साक्षियों ने अभियोजन कथानक को पुष्ट किया है।

यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा मजरुबी आख्या के चिकित्सक को बतौर साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है किन्तु इस सन्दर्भ में यह प्रासंगिक है कि चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लिया गया। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा शेष साक्षियों को परीक्षित नहीं कराया गया तथा अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर धारा 323, 324, 504, 506 भा0दं0सं0 के अपराध का आरोप है। भा0दं0सं0 की **धारा-323** स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु दंड का प्रावधान करती है और **धारा-324** खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु दंड का प्रावधान करती है। इस सन्दर्भ में पी0डब्लू0-1 बब्लू मिश्रा ने अपनी मुख्य जिरह में सशपथ यह कथन किया है कि "घटना 1997 की है। तीन बजे दिन की है। घटना के समय मैं ईंट ढो रहा था। ईंट सरकारी खड़जे से ढो रहा था। तब गांव के माताबदल बाजपेयी, नन्हकऊ, शेषकुमार ये लोग आये और हाथ में कांता व लाठी लिये हुए थे। उक्त मुल्जिमान मना करने लगे कि इधर से मत जाओ और लाठी व कांते से मारने लगे। मेरे सर के पिछले भाग पर, दाहिने हाथ पर, कमर पर कांते से मारा। मेरी मां मौके पर पहुंची तो उन्हें भी मुल्जिमानों ने मारा। सुरेन्द्र कुमार मिश्रा जो मेरे साथ ईंट ढो रहे थे, उन्हें भी मारा।" साक्षी पी0डब्लू0-2 ने अपनी जिरह में कहा है कि मार-पीट में बब्लू मार खा कर चला गया। चीख गोहार हो रही थी।" साक्षी पी0डब्लू0-3 के द्वारा भी अपनी जिरह में यह कथन किया गया है कि माताबदल ने कांता से मारा था। अभियुक्त भोला ने कुल्हाड़ी से मारा था। नन्हकऊ ने फरसे से मारा था। इन लोगों ने मुझे बहुत मारा मेरे सर पर काफी चोटे आयी थी।" साक्षी पी0डब्लू0-4 ने अपनी जिरह में

यह कथन किया है कि माताबदल, नन्हकऊ व शेषकुमार तथा भोला ने लाठी से मारा बहुत खून निकल रहा था। मेरे लड़के व सुरेन्द्र को मारा।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण भोला, नन्हकऊ व शेष कुमार ने वादी मुकदमा बब्लू मिश्रा एवं पीड़ित सुरेन्द्र कुमार व सरोजनी देवी को मारा-पीटा तथा उन्हें चोटें कारित की। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323 एवं 324 भा0द0सं0 का आरोप साबित होता है।

जहां तक अभियुक्तगण पर भा0दं0सं0 की धारा 504 एवं 506 के आरोप का प्रश्न है। इस सन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि प्रस्तुत मामले में यद्यपि पी0डब्लू0-1/वादी मुकदमा ने अपने मुख्य परीक्षा में विपक्षीगण द्वारा गाली गलौच एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया है किन्तु उपरोक्त तथ्य की पुष्टि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य से नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य साक्ष्यों से भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मुल्जिमान द्वारा गाली गलौच के किन विनिर्दिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है जिससे लोकशान्ति प्रकोपित हुई हो साथ ही किस अभियुक्त द्वारा उसे साशय जान से मारने की धमकी दी गयी है तथा कथित धमकी में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका भी स्पष्ट उल्लेख मौखिक साक्ष्य में नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 504 एवं 506 भा0दं0सं0 का अपराध कारित किया जाना संदेह से परे साबित नहीं होता है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के सम्यक अवलोकन से यह निष्कर्षित होता है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण भोला, नन्हकऊ व शेष कुमार के विरुद्ध धारा 323 एवं 324 भा0द0सं0 का आरोप संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्तगण भोला, नन्हकऊ व शेष कुमार के विरुद्ध धारा 504 एवं 506 भा0द0सं0 का आरोप युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण भोला, नन्हकऊ व शेष कुमार को धारा 323 एवं 324 भा0द0सं0 के आरोप के अन्तर्गत दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण भोला, नन्हकऊ व शेष कुमार न्यायालय में उपस्थित हैं, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाय।

अभियुक्तगण उपरोक्त के बंधपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदार को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच पश्चात पेश हो।

दिनांक-16.08.2019

(कामायनी दुबे)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम

कक्ष सं0 17 रायबरेली।

बादहू लंच-

पत्रावली लंच पश्चात पुनः पेश हुई।

अभियुक्तगण भोला, नन्हकऊ व शेष कुमार को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह उनका प्रथम अपराध है एवं पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्तगण भोला, नन्हकऊ व शेष कुमार को मात्र 323 एवं 324 भा0दं0सं0 के अपराध में दोष सिद्ध किया गया है। अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है, उनकी पूर्व में कोई दोष सिद्धी नहीं है। अभियुक्तगण उपरोक्त के आयु, शील, वृत्ति एवं अपराध की प्रकृति एवं

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्याय संगत होगा।

आदेश

अभियुक्तगण भोला, नन्हकऊ व शेष कुमार को भा0दं0सं0 की धारा 323 एवं 324 के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए उनके विरुद्ध पारित किये जाने वाले दण्डादेश को स्थगित रखते हुए उन्हें एक-एक वर्ष की परिवीक्षा पर इस शर्त के साथ छोड़ा जाता है कि वे दौरान परिवीक्षा सदाचारी बने रहेंगे, लोकशान्ति कायम रखे रहेंगे तथा अन्य कोई अपराध कारित नहीं करेंगे। दौरान परिवीक्षा प्रत्येक तीसरे माह की दस तारीख को जिला प्रोबेशन अधिकारी, रायबरेली के समक्ष उपस्थित होंगे। दोष सिद्ध उपरोक्त अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो-दो प्रतिभू अन्दर दस दिन जिला प्रोबेशन अधिकारी, रायबरेली के समक्ष दाखिल की जाए। तब तक के लिए उपरोक्त अभियुक्तगण के द्वारा पचास-पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल किया जाए।

परिवीक्षा के दौरान यदि परिवीक्षा की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो वे न्यायालय द्वारा तलब करके दोष सिद्ध अपराध के लिए दण्डित किए जाएंगे। अभियुक्तगण को यह भी आदेशित किया जाता है कि वे अन्दर सप्ताह वादी मुकदमा/बल्लू मिश्रा को पहुंचायी गयी चोटों के प्रतिकर स्वरूप उसे अंकन पांच हजार रुपये तथा पीड़ित सुरेन्द्र कुमार मिश्रा एवं सरोजनी को पहुंचायी गयी चोटों के प्रतिकर स्वरूप प्रत्येक को अंकन तीन-हजार रुपये अदा करेंगे।

निर्णय की एक प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी, रायबरेली को अविलम्ब भेजी जाय एवं एक प्रति निःशुल्क पीड़ित को दी जाय। अभियुक्तगण भोला, नन्हकऊ व शेष कुमार को धारा 504 एवं 506 भा0दं0सं0 के आरोप के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

दिनांक-16.08.2019

(कामायनी दुबे)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम

कक्ष सं0 17 रायबरेली।

निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

दिनांक-16.08.2019

(कामायनी दुबे)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम

कक्ष सं0 17 रायबरेली।